



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बापिणी, जिला-फलौदी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

कैम्प कोर्ट का स्थान : फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर-2025, बापिणी।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी मतोड़ा व भू.अ.नि. मतोड़ा रिपोर्ट तथा तहसीलदार बापिणी/नायब तहसीलदार बापिणी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मतोड़ा तहसील बापिणी व जिला फलौदी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 -76 में खाता संख्या- 194 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर अमल दरामद आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मतोड़ा	194	विशनी पत्नि रिडमलराम	किशनी पत्नि रिडमलराम

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/
प्रतिलिपि :-

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

01. तहसीलदार बापिणी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र करावें।
02. पटवारी हल्का मतोड़ा।

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी

